न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 168 / 2022

प्रार्थी	**बनाम** **विप्रार्थीगण**
खेताराम पुत्र उदाराम उम्र 41 वर्ष जाति प्रजापत निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. पीराराम पुत्र लिखमाराम उम्र 19 वर्ष 2. मावाराम पुत्र लिखमाराम उम्र 22 वर्ष 3. सुआ देवी पत्नी लिखमाराम उम्र 80 वर्ष जातियान प्रजापत निवासियान दण्ड (दाखा) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण वकील प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 3 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 11.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 224 / 21 रकबा 4. 4333 हैक्टेयर मौजा दण्ड पटवार दाखा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी में से विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा यानि कुल आराजी का 2 / 3 हिस्सा अर्थात 18.05 बीघा भूमि जरिये नोटेरी तस्दीकसूदा ईकरारनामा के भूमि का बेचान प्रार्थी को दिनांक 05.04.2022 को किया है फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि ग्राम दण्ड के खेत खसरा संख्या 224 / 21 में प्रार्थी का जरिये बैचान ईकरारनामा से प्रार्थी द्वारा कय करने पर प्रार्थी का सम्पूर्ण आराजी में 2 / 3 हिस्सा [illegible] प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का है। इसी हिस्सो में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है। कि विप्रार्थीगण द्वारा कपटपूर्ण तरीके से मेरी बिना सहमति के [illegible] भूमि का बैचान जरिये रजिस्ट्री दुबारा बेचान उप पंजीयक सिणधरी में दिनांक 06.05.2022 को करवा दिया जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान जरिये तस्दीकसूदा बेचान ईकरारनामा के प्रार्थी को हो चुका है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को इसी भूमि को दुबारा बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है जिससे पश्चातवर्ति बेचान दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है, यदि विप्राथीगण उक्त पश्चातवर्ति बैचान कर नामान्तरण पारित करवाता है तो उससे प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सिणधरी

अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भविष्य में भरपाई सम्भव नहीं है तथा प्रार्थी को प्रतिफल अदा कर क्रय की गई भूमि से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ेगा। ईकरारनामा के निष्पादन के समय से बेचानकर्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के केता वादी को वादग्रस्त भूमि पर काबिज व काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की पैतृक भूमि है वक्त सेटलमेन्ट उनके पूर्व पुरूष के नाम खातेदारी में दर्ज होकर तत्पश्चात विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को विरासत में प्राप्त है। जिसका संख्या 1 व 2 द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्सा वादी को जरिये ईकरारनामा बेचान प्रतिफल के बदले प्रार्थी को किये जाने से वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी का हक हिस्सा निहित हो जाने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार सृजित हो गए है। जिससे विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के स्थान पर प्रार्थी का बतौर खातेदार साथ शामिल होने का विधिक अधिकार है। कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का जरिये बेचान ईकरारनामा केता है जिससे वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहित हो गया है प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। परन्तु विप्रार्थीगण प्रार्थी की कयसुदा भूमि का बेचान करने पर उतारू है विप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के अंकन का गलत फायदा उठाकर प्रार्थी को पूर्व में बेचान की गई भूमि को दुबारा अजनबी केता को बेचान कर उसके नाम राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण करवाने पर आमादा है तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त रहवास एवंम कय की गई उपजाऊ भूमि से बेदखल करने को प्रयासरत है ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वे प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल न करे तथा प्रार्थी द्वारा कय की गई भूमि का बेचान या अन्य प्रकार से हस्तातरण न करे मौका व राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति को बनाए रखे।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 224/21 रकबा 4. 4333 हैक्टेयर मौजा दण्ड पटवार दाखा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी में से विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा यानि कुल आराजी का 2/3 हिस्सा अर्थात 18.05 बीघा भूमि जरिये नोटेरी तस्दीकसूदा ईकरारनामा के भूमि का बेचान प्रार्थी को दिनांक 05.04.2022 को किया है फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि ग्राम दण्ड के खेत खसरा संख्या 224/21 में प्रार्थी का जरिये बैचान ईकरारनामा से प्रार्थी द्वारा कय करने पर प्रार्थी का सम्पूर्ण आराजी में 2/3 हिस्सा बनता है। जो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का है। इसी हिस्से में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है। कि विप्रार्थीगण द्वारा कपटपूर्ण [illegible] बिना सहमति के वादग्रस्त आराजी खातेदारी भूमि का बैचान [illegible] पंजीयक सिणधरी मे दिनांक 06.05.2022 को करवा दी है जबकि उक्त [illegible] भूमि का बेचान जरिये तस्दीकसूदा बेचान ईकरारनामा के प्रार्थी को हो चुका है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को इसी भूमि को दुबारा बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है जिससे पश्चातवर्ति बेचान दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है, यदि विप्राथीगण उक्त पश्चातवर्ति बैचान कर नामान्तरण पारित करवाता है तो उससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भविष्य में भरपाई सम्भव नहीं है, तथा प्रार्थी को प्रतिफल अदा कर क्रय की गई भूमि से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ेगा। ईकरारनामा के निष्पादन के समय से बेचानकर्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के केता वादी को वादग्रस्त भूमि पर काबिज व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:43 IST
Reason: SelfAttested

काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की पैतृक भूमि है एक सेटलमेन्ट उनके पूर्व पुरूष के नाम खातेदारी में दर्ज होकर तत्पश्चात विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को विरासत में प्राप्त है। जिसका संख्या 1 व 2 द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्सा वादी को जरिये ईकरारनामा बेचान प्रतिफल के बदले प्रार्थी को किये जाने से वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी का हक हिस्सा निहित हो जाने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार सृजित हो गए है। जिससे विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के स्थान पर प्रार्थी का बतौर खातेदार साथ शामिल होने का विधिक अधिकार होने व सुविधा के संतुलन का मामला तथा ईकरारनामा पर दी गई भूमि एवं सामलाती पैतृक भूमि होने के सन्दर्भ मे विधिसम्मत निस्तारण की कार्यवाही मूल वाद में जरिये साक्ष्य / सबूतों के आधार पर तय करते हुए निराकरण किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण मे अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। फालतू फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pramod Kumar
Date: 23.04.2024 14:37:43 IST
Reason: Self Attested